

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 18.05.2020

प्रेस नोट दिनांक 18/05/2021 थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर

“शांति व्यवस्था भंग करने वाले 06 व्यक्ति के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही”

प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री अशोक राय के आदेश क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ श्री प्रदीप कुमार यादव के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक चिल्हिया श्री दिनेश चन्द्र चौधरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18/05/2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 06 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

विवाद का कारण आम तोड़ने तथा बच्चों बच्चों की बात को लेकर विवाद

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. राम किशुन पुत्र अयोध्या उम्र 50 वर्ष
 2. बिल्लर उर्फ राजकुमार पुत्र रामकिशन उम्र 20 वर्ष उपरोक्त साकिनान सरौता थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर
 3. मोहम्मद यासीन पुत्र कल्लू उम्र 55 वर्ष
 4. फिरोज पुत्र मोहम्मद यासीन उम्र 30 वर्ष
 5. अकरम पुत्र रहमतुल्लाह उम्र 45 वर्ष
 6. अफजल पुत्र अकरम उम्र 20 वर्ष उपरोक्त साकिनान जमुनी थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर
- गिरफ्तार करने वाली टीम

उ०नि० नंदा प्रसाद

उ०नि० देव मुनि सिंह

हे०का० मिथिलेश कुमार मिश्रा

हे०का० मिथिलेश यादव

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 18.05.2020

थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर से 10 नफर अभियुक्त को धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री अशोक राय के आदेश क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष लोटन श्री राम अशीष यादव के नेतृत्व में आज दिनांक 18.5.2021 को ग्राम उदयपुर मे बकरी चराने की बात को लेकर विवाद था तथा संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही के अन्तर्गत अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

=====

1. मनीष पुत्र सुरेश प्रसाद
 2. राजू गुप्ता पुत्र गुलाब गुप्ता
 3. सूरज शर्मा पुत्र जितेंद्र शर्मा
 4. सुनील कुमार पुत्र जयराम
 5. बालेंद्र पुत्र राम शंकर निवासीगण ग्राम उदयपुर थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर
 6. कमरुद्दीन पुत्र जहरुद्दीन
 7. तसौउर पुत्र मनौउर हुसैन
 8. महमूद आलम पुत्र अब्दुल मजीद
 9. मकसूद आलम पुत्र अब्दुल मजीद
 10. जाकिर हुसैन पुत्र जमील निवासीगण ग्राम महिला थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर
- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

=====

1. उप निरीक्षक सभा शंकर यादव लोटन ।
2. कांस्टेबल मनीष कुमार गौड़
2. कांस्टेबल अरुण कुमार पांडे

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 18.05.2020

प्रेस नोट दिनांक 18.05.2021 थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर “शांति व्यवस्था भंग करने वाले 04 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही” प्रभारी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री अशोक राय के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष कपिलवस्तु श्री महेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.05.2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए एक व्यक्ति के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

- 1 जकिर पुत्र मो हदीश अहमद निवासी महदेइया कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 2-शुङ्गु पुत्र जाकिर निवासी महदेइया कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
- 3- फ़ैजुल्ला पुत्र वसीउल्ला सा. महदेइया थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
- 4-ओवैदुल्ला पुत्र अमीरुदीन सा. महदेइया थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 संजीव शुक्ला
- 2.हे.का.महेंद्र यादव
- 3- का. सुमित कुमार

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 18.05.2020

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 18-05-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 898 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 188 वाहनों का चालान कर ₹ 1,75,500/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 18.05.2020

प्रेस नोट दिनांक 18.05.2021 थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 18.05.2021 को श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेशचन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान में श्री मनोज कुमार सिंह थानाध्यक्ष उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

1. मु.अ.सं. 92/2021 धारा 498ए/323/504/506/302 भा.द.वि. व ¾ डी.पी. एक्ट का मुख्य अभियुक्त रामू चौधरी पुत्र रामभवन चौधरी ग्राम कटका थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

1.शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत 03 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी मे मा. न्यायालय भेजा गया।

2.वाहन चेकिंग के दौरान 06 वाहनो से 7000/- रु. ई-चालान किया गया।

3.मास्क चेकिंग मे 19 व्यक्ति से 3100/- रु. शमन शुल्क वसुल किया गया।

चेकिंग करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
2. उ.नि. श्री पारसनाथ सिंह थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
3. उ.नि. श्री श्रीराम पाल थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
4. का. विष्णु यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
5. का. अमित पाल थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
6. का. जयसिंह चौहान थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 18.05.2020

प्रेस नोट/सराहनीय का यू0पी0-112 सिद्धार्थनगर के पीआरवी-1506 थाना उसका बाजार जनपद

सिद्धार्थनगर के पीआरवी कर्मियों द्वारा गॉव में अजगर मिलने की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँच कर ग्रामीणों की मदद से अजगर को पकड़ा, वन विभाग को सुपुर्द किया, ग्रामीणों ने राहत की साँस ली। दिनांक 17.05.2021 को समय 21:38 बजे कालर निवासी ग्राम-गंगाधरपुर थाना उसकाबाजार जनपद सिद्धार्थनगर ने बताया कि ग्राम में प्राइमरी स्कूल के पास अजगर मिला है। इस सूचना पर पीआरवी द्वारा मात्र 12 मिनट में मौके पर पहुँचकर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल वन विभाग को सूचना दी गयी। पीआरवी कर्मियों द्वारा ग्रामीणों की मदद से अजगर को पकड़कर पर मौके पर उपस्थित वन विभाग के दरोगा निखिल कुमार श्रीवास्तव के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित कार्यवाही से ग्रामीणों ने राहत की साँस ली। घटनास्थल पर उपस्थित जनमानस द्वारा पीआरवी की कार्यवाही की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी गण-

कमाण्डर:- रमेश यादव

सबकमाण्डर:- सिद्धार्थ सिंह

पीआरवी पायलट:- देवेन्द्र नाथ उपाध्यायर्ष दिनांक: 18.05.2020

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 18.05.2020

शान्ति व्यवस्था प्रभावित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

श्री अशोक राय पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी, सदर के कुशल निर्देशन में व श्री छत्रपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना को0 सि0नगर पुलिस टीम द्वारा कृत कार्यवाही -

आज दिनांक 18.05.2021 को थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था कायम रखने व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के दृष्टिगत 03 अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय / जेल भेजा गया व थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय से रवाना होकर कोविड-19 व लाकडाउन के दृष्टगति थाना हाजा के विभिन्न चौराहो व तिराहो सिद्धार्थ तिराहा, बांसी स्टैण्ड, हैडिल तिराहा, सनई चौराहे पर टीम बनाकर कोविड-19 की रोकथाम हेतु व लाकडाउन के दृष्टगति मास्क व वाहन चेकिंग किया गया व व्यक्तियों से कोविड-19 रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देते हुये निर्धारित गाइड लाइन का पालन करने हेतु बताया गया व बताया गया कि आप लोग लाकडाउन में अपने घर ही रहे घर से बाहर न निकले व 4 व्यक्तियों से 1850 रुपये का मास्क में चालान किया गया व 05 वाहनो से 3000 रुपये का ई-चालान किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम, पता-

1. अल्ताफ हुसैन उर्फ गोली पुत्र अजीज अहमद,
 2. अन्जुम उर्फ मो0 शाहिद पुत्र मो0 रफीक,
 3. मिसबाहुद्दीन उर्फ लंगड पुत्र रमजान अली निवासीगण खजुरिया थाना व जिला सि0नगर
- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1- उ0नि0 श्री अजय सिंह थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर ।

2- उ0नि0 श्री बीरबहादुर यादव थाना को0 सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर ।

3- हे0का0 वाशिद अली थाना को0 सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 18.05.2020

प्रेस नोट दिनांक:- 18.05.2021 थाना मिश्रौलिया

=====

थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर से 01 नफर अभियुक्त को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में उप जिलाधिकारी महोदय उत्कर्ष श्रीवास्तव इटवा व श्री रमेश चंद्र पांडेय क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक मिश्रौलिया श्री अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 18.05.2021 को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत अन्तर्गत 01 अभियुक्त को मु0अ0सं0 51/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. मोहन चौधरी पुत्र सीताराम चौधरी साकिन कुर्थीडीहा

थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण- 10 लीटर कच्ची शराब अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. हेड कांस्टेबल दिनेश यादव

02. हेड कांस्टेबल कपिल देव बौद्ध

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 18.05.2020

प्रेस नोट दिनांक 18.05.2021 थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

“शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 लोगो के विरुद्ध कार्यवाही”

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री रमेश चंद्र पांडेय एवं प्रभारी निरीक्षक मिश्रौलिया श्री अजय कुमार सिंह

के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18/05/2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए एक पक्ष के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

विवाद का कारण - पति पत्नी में विवाद

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. रामविलास पुत्र गया साकिन नागचौरी टोला अमहवा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- उ.नि. शिवकुमार प्रसाद

2 -हे0का0 इन्द्रजीत सिंह

3- का0 रामधीरज यादव

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 18.05.2020

प्रेस नोट दिनांक 18.05.2021 थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

“शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 लोगो के विरुद्ध कार्यवाही”

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री रमेश चंद पाण्डेय एवं प्रभारी निरीक्षक मिश्रौलिया श्री अजय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18/05/2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए एक पक्ष के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

विवाद का कारण - पुरानी रंजिश को लेकर विवाद

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1 रमाशंकर पुत्र नंदा

2-अजय पुत्र रामशंकर

साकिनान बनकटा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- उ.नि. शिवकुमार प्रसाद

2 -उ.नि. सत्येंद्र कुमार

3-का0 प्रमोद यादव

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 18.05.2020

प्रेस नोट दिनांक 18.05.2021 थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर

“शांति व्यवस्था भंग करने वाले 03 लोगो के विरुद्ध कार्यवाही”

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री अशोक राय के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री रमेश चंद पाण्डेय एवं थाना प्रभारी वरि0उ0नि0 प्रदीप कुमार सिंह थाना इटवा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18/05/2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए द्विपक्ष के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

विवाद का कारण -

एनसीआर लिखाने की बात को लेकर वाद विवाद करने के कारण

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

01. करन तिवारी पुत्र पवनसुत तिवारी,

02. सद्दाम पुत्र अब्दुल वहाव,

03. मो0 फहीम पुत्र हवीवुल्लाह समस्त साकिनान सेखुईयां थाना इटवा जनपद सि0नगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- उप निरीक्षक श्री सिधारी भारती।

2- कांस्टेबल देवेश सिंह

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 18.05.2020

प्रेस नोट *दिनांक 18.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

में कोविड महामारी अधिनियम के उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही* ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व कोविड महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया ।

इस क्रम में आज दिनांक 18-05-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने तथा अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के कारण महामारी अधिनियम की धारा 3 ,4 व ,5 का उल्लंघन करने वाले 283 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा उनसे कुल रू0 40150/- की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई ।

सर्वाधिक कार्यवाही बासी थाने द्वारा की गई ।

कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सतत कार्यवाही जारी रहेगी ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 18.05.2020

प्रेस नोट

थाना चिल्हिया

जनपद सिद्धार्थनगर

आज दिनांक- 18.05.2021 को वादी श्री शिवप्रकाश पूर्ति निरीक्षक विकास खण्ड नौगढ़ तहसील शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 41/2021 धारा 3/7 ई.सी. एक्ट बनाम 1.जफर पुत्र मो0 वसील निवासी कन्दवा बाजार थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर, 2.मेसर्स श्रीजीर्ण माता एचपी गैस एजेन्सी कन्दवा बाजार प्रोपराइटर/प्रबन्धक थाना चिल्हिया जनपद सि0नगर के विरुद्ध थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण छापेमारी कर मकान में अवैध रूप से 36 गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हेतु मेसर्स श्री जीर्ण माता एच0पी0 गैस एजेन्सी के मलिक के लड़के व जफर पुत्र मोहम्मद वशीर अवैध तरीके से भंडारण करना